

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

कदमा नंबर दावा / 147 / 2019

तारीख रजु 03.09.2019

उनवान

सोमोती पुत्र मवासी जाति हरिजन निवासी कसाने का नंगला तीन मूर्ति ढिंढोरा तहसील
हिण्डौन जिला करौली

---वादी

बनाम

नादान पुत्र भगोली वगै० जाति गुर्जर निवासी कसाने का नंगला तह० हिण्डौन जिला
करौली

-----प्रतिवादीगण 08

परिस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री संतोष कुमार मुदगल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- कोई नहीं

निर्णय

दिनांक 11.09.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा स्थित
म कसाने का नंगला तहसील हिण्डौन के खसरा नं० 280/4140 दाबा बावत् स्थाई
पेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।
ती दौरान वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना
हता हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 147/2019 सोमोती बनाम नादान वगै०
प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

